



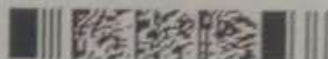
Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SRO Unique ID: 20210000000999R
S R Location: JAIPUR-II
Receipt No: RJ1481150968955
Name Of Seller: SHANKAR LAL SHARMA
Name Of Buyer: FRIENDS HOUSING INC THROUGH PARTNER SHASHIKANT SHARMA VILL PIPLA BHARATSINGH
Type of Document: Others - Search
ACC Reference: SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/BANI PARK

Receipt Date: 05-APR-2022 15:09

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount
Registration Fees	₹ 0	CSI	
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 100	Service Charges	
Grand Total	₹ 110		
(Rupees One Hundred Ten Only)			



Statutory Alert: The authenticity of this receipt should be verified at www.shoilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

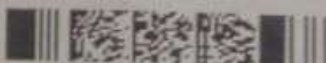
SECOND

SRO Unique ID: 20210000000999R
S R Location: JAIPUR-II
Receipt No: RJ1481150968955
Name Of Seller: SHANKAR LAL SHARMA
Name Of Buyer: FRIENDS HOUSING INC THROUGH PARTNER SHASHIKANT SHARMA VILL PIPLA BHARATSINGH
Type of Document: Others - Search
ACC Reference: SHCIL/SHCIL RAJASTHAN/BANI PARK

Receipt Date: 05-APR-2022 15:09

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount
Registration Fees	₹ 0	CSI	
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 100	Service Charges	
Grand Total	₹ 110		
(Rupees One Hundred Ten Only)			



Statutory Alert: The authenticity of this receipt should be verified at www.shoilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

SHANKER LAL SHARMA

Advocate
RAJASTHAN HIGH COURT

Resi./Office:

Ram-Laxman, Harvanshpura, Bhankrota,
Ajmer Road, Jaipur-302026 (Raj.)
Cell : 9414058349

Ref.

Date : 06.04.2022

TITLE REPORT

WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Subject : Title Search Report of the project "SHRI RADHA GOVIND VILLA EXTN." situated at Khasra No.1109/1080 Area 0.4078 Hectare at Village Peepla Bharat Singh, Tehsil Sanganer, Jaipur & District Jaipur, Rajasthan.

Name of Owner with Full Address

M/S. FRIENDS HOUSING, Add. 119/552, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur-302020

Property Description

S.No.	Particulars		Sq.Mtrs.	Percentage
1	Residential		2119.19	51.97%
2	Retail Commercial		24.00	0.59%
3	Park Area		206.18	5.06%
4	Road Area		1658.63	40.66%
5	P.U.		10.00	0.25%
6	Reserve for Waste Disposal and Mobile Tower		60.00	1.47%
7	Total Land Area		4078.00	100.00%

Shanker
Advocate

SHANKER LAL SHARMA

Advocate
RAJASTHAN HIGH COURT

Resi./Office:

Ram-Laxman, Harvanshpura, Bhankrota,
Ajmer Road, Jaipur-302026 (Raj.)
Cell : 9414058349

List of documents with respect to Khasra No.1109/1080 Area 0.4078 Hectare, Village Peepla Bharat Singh, Tehsil Sanganer, Jaipur & District Jaipur, Rajasthan admeasuring 4078.00 Sq.Mtrs.

1. Copy of Jamabandi Samwat 2074-77 favouring FRIENDS HOUSING, 34, Janpath, Shyam Nagar, Jaipur.
2. Copy of 90A order issued by Jaipur Development Authority (Zone 11) in favour of FRIENDS HOUSING for residential scheme Khasra No.1109/1080 Area 0.4078 Hectare at Village Peepla Bharat Singh, Tehsil Sanganer, Jaipur & District Jaipur, Rajasthan.
3. Copy of layout Plan issued in record dated 16.12.2021.
4. After inspection at Sub Registrar office at Sanganer-II, Jaipur, the land is free from encumbrances.
5. Receipt of Sub Registrar office dt.06.04.2022

Conclusion/Observation, if any

As per the photocopy/xerox of the original documents submitted by the party and details mentioned therein. I am of opinion that M/s. FRIENDS HOUSING is the absolute owner of the land having Khasra No.1109/1080 Area 0.4078 Hectare at Village Peepla Bharat Singh, Tehsil Sanganer, Jaipur & District Jaipur, Rajasthan. The said land is clear, marketable and free from all encumbrance.



(SHANKER LAL SHARMA)

Advocate



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (11) राजस्थान सरकार



क्रमांक:- LU2012/JDA/2021-22/101260

दिनांक 07/12/2021

विषय:- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

फ़ैण्डस हाउसिंग जरिये पार्टनर श्री शशिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री के.सी. शर्मा पता-119/552, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह सांगानेर (जयपुर)	फ़ैण्डस हाउसिंग पंजीकृत कार्यालय 34, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर	1109/1080	0.4078
कुल				0.4078

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07-12-2021 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- पीपला भरतसिंह

अंतिम चोमला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी

पटवार हल्का :- जयसिंहपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- भांकरोटा

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- साँगानेर

खाता संख्या नया :- 219

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 168

काश्तकार का नाम:-

1. फ्रेंड हाऊसिंग हिस्सा- पूर्ण पंजीकृत कार्यालय 34 जनपथ श्याम नगर जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1109/1080	0.4078	बारानी A	0.4078	4.81	स्वीकृत नामांतरकरण : 488 13/03/2020 विभाजन स्वीकृत नामांतरकरण : 505 25/02/2021 सर्म्पण स्वीकृत नामांतरकरण : 513 26/03/2021 सर्म्पण	

कुल खसरे - 1 0.4078 0.4078 4.8100

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 19-Aug-2021



p35 73 49
19-8-2021

सत्य प्रतिलिपि
दिनांक 19/8/2021
पं.म.-जयसिंहपुरा
तहसील-सांगानेर